राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– परलीका

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस.)

वाद सं0 : 53 सन 2018

अनवान :–

1. मैना 2 धापा 3 इन्द्रा पुत्रिया बोगीदेवी जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. गुडडी 2 किस्तुरी पुत्रिया बोगीदेवी जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
3 रोहिताश पत्नि रमेश पुत्र बोगी देवी जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
4. शिव कुमार 5 रविन्द्र कुमार पि0 रमेश जाति जाट निवासी फेफाना नाबालिग जरिये माता मु0 रोहिताश पत्नि रमेश कुमार जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इश्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 17.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश कर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 4/6 में 2.5435हैक तथा खाता संख्या 5/5 की 3.2890हैक भूमि में 47–1/2 हिस्सा भूमि वादीया एवं प्रतिवादीगण की माता बोगीदेवी की खातेदारी भूमि थी बोगीदेवी का देहान्त हो गया जिसके छ वारिस वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एवं रमेश के वारिस प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 है बोगीदेवी के देहान्त होने पर विरास्तन से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज हो गई है जिसका आपसी सहममि से बटवारा कर लिया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हकों की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादीयान के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत – 2018 कैम्प कोर्ट में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता, 5 ने निवेदन किया की वाद भूमि में उन्होने अपने हकों का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिस उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा भी पेश किया जो शामिल मिसल किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से मुश्तरका खाता में दर्ज है जो बोगीदेवी के देहान्त होने के बाद दर्ज होना अवगत करवाया गया है वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हकों का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता ,5 के द्वारा अपने हकों का त्याग करने के कारण स्टॉम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों एव आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 4/6 की कुल 5.0870हैक में से 2.5435हैक तथा खाता संख्या 5/5 की 3.2890हैक में से 47–1/2 हिस्सा भूमि की वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

S.Zaidi

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक अदालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोर्ट– परलीका

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– परलीका

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. मैना 2 धापा 3 इन्द्रा पुत्रिया बोगीदेवी जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 गुडडी 2 किस्तुरी पुत्रिया बोगीदेवी जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।

3 रोहिताश पत्नि रमेश पुत्र बोगी देवी जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।

4. शिव कुमार 5 रविन्द्र कुमार पि0 रमेश जाति जाट निवासी फेफाना नाबालिग जरिये माता मु0 रोहिताश पत्नि रमेश कुमार जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 55 सन 2018 निर्णय दिनांक– 17.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत '' न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है किरोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 4/6 की कुल 5. 0870हैक में से 2.5435हैक तथा खाता संख्या 5/5 की 3.2890हैक में से 47–1/2 हिस्सा भूमि की वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत '' न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक अदालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट– परलीका